

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1671/2013

संस्थापन दिनांक 31.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामसेवक पुत्र नत्थाराम कुशवाह उम्र 35
साल, निवासी गदाईपुरा जिला ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.12.13 को शाम करीब 04:30 बजे या उसके लगभग ग्राम भौनपुरा सिहोंनिया रोड पुल के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन क्वालिस क्रमांक एम.पी.07-बी.ए.1250 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.13 को फरियादी बनवारी अ0सा01 एवं उसका भाई रामशंकर अ0सा03 के साथ हीरोहोण्डा स्पलेण्डर मोटरसाइकिल से जा रहा था रामशंकर अ0सा03 पीछे बैठा था और शाम 04:30 बजे भौनपुरा सिहोंनिया रोड पर पुल के पास सामने से आ रही एक क्वालिस गाड़ी क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे रामशंकर अ0सा03 को घोर उपहति हुई और मोटरसाइकिल में नुकसान हुआ। घटना उस समय तुलाराम ने देखी वाहन चालक

गाड़ी को छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात फरियादी बनवारीलाल अ0सा01 की रिपोर्ट पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 109/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 26.12.13 को शाम करीब 04:30 बजे या उसके लगभग ग्राम भौनपुरा सिहोंनिया रोड पुल के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन क्वालिस क्रमांक एम.पी.07-बी.ए. 1250 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. बनवारीलाल अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.12.13 को वह अपने भाई रामशंकर अ0सा03 के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-08-एम.जी.1519 से जा रहा था जिसे रामशंकर अ0सा03 चला रहा था तब शाम 4:30 बजे सिहोंनिया के पास रोड पर उनका क्वालिस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था जिससे रमेश अ0सा03 के पैर में चोट आई थी और फ्रैक्चर हुआ था। क्वालिस गाड़ी धीरे चल रही थी उसका क्या नंबर था तथा उसे कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। उसने एफआईआर प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2, जप्ती पत्रक प्र0पी-3 व नुकसानी पंचनामा प्र0पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि क्वालिस गाड़ी क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की गयी है।
6. रामशंकर अ0सा03 ने भी कथन किया है कि दिनांक 26.12.13 को साढ़े तीन-चार बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से बनवारी अ0सा01 के साथ अपने ससुराल रौरिया जा रहा था। वह स्वयं मोटरसाइकिल चला रहा था तब सिहोंनिया पुल के पास भौनपुर रोड पर मोटरसाइकिल चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उनके शरीर में चोटें आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वाहन क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर

मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तरी प्रती-7 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. साक्षी शहजाद खां अ0सा02 ने कथन किया है कि वाहन क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 का वह स्वामी है जिसे डाइवर चलाता है। दिनांक 26.12.13 को उक्त गाड़ी कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। प्रमाणीकरण प्र0पी-6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 26.12.13 को उक्त गाड़ी आरोपी रामसेवक चला रहा था।
8. अतः प्रकरण में फरियादी बनवारी अ0सा01 व रामशंकर अ0सा03 घटना के प्रत्यक्ष साक्षी होकर महत्वपूर्ण साक्षी हैं। परन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगण ने आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 उपेक्षापूर्वक परिचालित किए जाने से इंकार किया है। बनवारी अ0सा01 ने दुर्घटना के समय वाहन का भी धीरे चलाया जाना बताया है। शहजाद अ0सा02 ने दुर्घटना के समय वाहन आरोपी के अधिपत्य में होने से भी इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी दिनांक 26.12.13 को शाम करीब 04:30 बजे या उसके लगभग ग्राम भौनपुरा सिहोनिया रोड पुल के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी लोकमार्ग पर वाहन क्वालिस क्रमांक एम.पी.07-बी.ए.1250 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
9. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। वह प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है।
11. प्रकरण में जप्त क्रमांक एम0पी-07-बी.ए.1250 शहजाद अ0सा02 की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0